**भारत सरकार**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**

**पशुपालन और डेयरी विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- 2128**

**दिनांक 14 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न**

**पशु जन्म नियंत्रण नियम**

**2128. श्री के. सुधाकरन:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल में आवारा कुत्तों के हमलों की हाल की घटनाओं पर ध्यान दिया है, जिससे लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनकी मौतें भी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने और आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए प्रस्तावित पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2022 के अधिनियमन और कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा;

(घ) क्या सरकार ने केरल में मुख्य रूप से कुत्तों से होने वाले रेबीज के कारण होने वाली मौतों पर ध्यान दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और वर्ष 2030 तक कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) केरल में कुत्ते पकड़ने वाले पेशेवरों की कुल संख्या कितनी है ओर केरल में पालतू जानवरों तथा सड़क पर रहने वाले/आवारा कुत्तों/बिल्लियों के प्रभावी टीकाकरण, प्रतिरक्षण और नसबंदी के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**

**(श्री परशोत्तम रूपाला)**

(क) और (ख) जी हां। आवारा कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण, राज्य सरकार के अधिदेश के अधीन है। केरल राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने के लिए, राज्य पशुपालन विभाग, पालतू कुत्तों के लिए अनिवार्य लाइसेंस, पालतु कुत्तों और आवारा कुत्तों का वार्षिक टीकाकरण, पशु जन्म नियंत्रण उपाय, पशु आश्रय/पाउंड, पालतू पशुओं को गोद लेने और अपशिष्ट प्रबंधन को लागू कर रहा है। इन उपायों के उचित कार्यान्वयन से राज्य में कुत्ते के काटने की घटनाओं में कमी आएगी और साथ ही राज्य में कुत्ते से होने वाले रेबीज को खत्म किया जा सकेगा।

(ग) प्रस्तावित पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2022 को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रकाशन के लिए भारत सरकार मुद्रणालय को भेज दिया गया है।

(घ) और (ड़) केरल की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) का गठन किया है जिसमें सचिव और निदेशक तथा सभी हितधारकों में से महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हैं। जेएससी की पहली बैठक 16 नवंबर, 2022 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें पशु रेबीज को राज्य में अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया गया था। सभी संबद्ध विभाग रणनीतियों सहित राज्य कार्य योजना स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की जा रही है। प्रदेश में टीकाकरण तेज कर दिया गया है। कुत्ते से होने वाले रेबीज के नियंत्रण के लिए दो प्रमुख उपाय कुत्तों का सामूहिक टीकाकरण और कुत्तों की आबादी का नियंत्रण (एबीसी के माध्यम से) हैं। उन्नीस पशु जन्म नियंत्रण केंद्र (एबीसी) कार्य कर रहे हैं। स्थानीय निकायों के सहयोग से राज्य में और अधिक एबीसी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। पालतू कुत्तों और आवारा कुत्तों के टीकाकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की गई हैं। सीरो - निगरानी और महामारी विज्ञान की जांच साथ-साथ की जा रही है। इस वर्ष रेबीज पॉजिटिव मामलों की प्रयोगशाला नेटवर्किंग और स्थान-वार मैपिंग भी शुरू की गई है। चयनित क्षेत्रों में सीरो निगरानी प्रायोगिक तौर पर की गई है। "रेबीज मुक्त त्रिवेंद्रम" संबंधी प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(च) जैसा कि केरल राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, राज्य में **426 प्रशिक्षित कुत्ते पकड़ने वाले उपलब्ध हैं।** राज्य ने केरल में पालतू और गली के/आवारा कुत्तों/बिल्लियों के प्रभावी टीकाकरण, प्रतिरक्षाकरण और नसबंदी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

**i) कुत्तों का सामूहिक टीकाकरण**

कुत्तों के सामूहिक टीकाकरण में पालतू और आवारा कुत्तों/खुले घूमने वाले कुत्तों, दोनों का टीकाकरण शामिल है। केरल में रेबीज के लिए सख्त रोगनिरोधी टीकाकरण लागू करने के लिए अब से सितंबर तक ''मास डॉग टीकाकरण माह'' घोषित किया गया है। स्थानीय स्वशासन के सहयोग से सभी स्थानीय निकायों में टीकाकरण शिविर लगाकर टीकाकरण किया जाता है। सितंबर, 2022 से अब तक **3.88 लाख पालतू कुत्तों को** रेबीज का टीका लगाया जा चुका है। पशुपालन विभाग, स्थानीय स्वशासन विभाग और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागों की भागीदारी के साथ आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कई राज्य, जिला और पंचायत स्तर की बैठकें बुलाई गई हैं। 170 चिन्हित हॉट स्पॉट में आवारा कुत्तों का एंटी रेबीज टीकाकरण शुरू हो गया है। पशुपालन विभाग द्वारा टीका नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। अब तक **करीब 20 हजार आवारा कुत्तों का** टीकाकरण किया जा चुका है।

**ii) पशु जन्म नियंत्रण**

जैसा पाया गया कि भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त जीव-जंतु कल्याण संगठनों की पर्याप्त संख्या नहीं है; स्थानीय स्वशासन विभाग, संस्थाओं को पशुपालन विभाग के साथ मिलकर पशु चिकित्सा संस्थानों में मूलभूत सुविधाओं का उपयोग करते हुए एबीसी कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई। पशु जन्म नियंत्रण-एंटी रेबीज कार्यक्रम (एबीसी-एआर) के संबंध में नवीनतम स्थिति के अनुसार , पूरे राज्य में **24 एबीसी केंद्रों** की पहचान की गई है। 24 केंद्रों में से **19** काम कर रहे हैं । सभी जिलों में और अधिक एबीसी केंद्रों की पहचान करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सभी 152 ब्लॉकों में संचालन का विस्तार किया जा सके। इस वित्तीय वर्ष में अब तक **14,236 एबीसी शल्य क्रियाएं की जा चुकी हैं।**

**iii) पशु आश्रय/पाउंड**

स्थानीय स्वशासन विभाग, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्निवास के उद्देश्य से पशु आश्रयों/पाउंड का निर्माण करेगा। संदिग्ध पागल कुत्तों को आवश्यक सावधानियों के साथ अलग किया जाएगा । जनता के बीच निहित भय को एक हद तक दूर किया जाएगा। आवारा, गुमशुदा, परित्यक्त और छोड़े गए पशुओं के लिए पशु आश्रयों की स्थापना हेतु आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थानों का चयन किया जाएगा।

**iv) जागरूकता कार्यक्रम**

पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों के माध्यम से स्कूलों, रिहायशी एसोसिएशनों आदि में कुत्ते का उत्तरदायित्वपूर्ण स्वामित्व, अनिवार्य टीकाकरण और लाइसेंसिंग, काटने के बाद/एक्सपोजर प्रबंधन तथा उपचार, गोद लेने आदि संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ।

******